

पयालय तहसीलदार कोटपुर्तली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनूप सिंह (आरटीएस)

दिनांक 1.1.2020

सरकार बनारस गंगाराम

निर्णय

मि.न.129/2019

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित।

सक्षेप में तथा इस प्रकार है कि पटवारी हल्का वर्गुमज ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में बाकें ग्राम वर्गुमज कोटपुर्तली के ख0 न0 660/20.0 है0 किस्म सिवायक मेंसे 1.20 है पर गंगाराम पुत्र बहराम जालि बमार निवासी वर्गुमज तहसील कोटपुर्तली ने जाल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये। बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये। सूचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया। जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि खसरा नंबर 660 में 0.50 है0 मूमि 1992 में अस्थाई आवंटन की गई है। जब से ही उस पर काबिज है साक्ष्य बतौर दर्स्तावेज पेश किये जा संलग्न किये गये। पत्रावली में संलग्न दर्स्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गैर किया जा विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जाल के उपरान्त पेश की गई है तथा गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब से स्पष्ट होता है कि गैर सायल का उक्त आरजियात पर अतिक्रमण सिद्ध होता है तथा संलग्न दर्स्तावेज में गैर सायल को तीन वर्ष के लिए अस्थाई आवंटन किया गया था जिस पर गैर सायल का काबिज होना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायल गंगाराम पुत्र बहराम जालि बमार निवासी वर्गुमज तहसील कोटपुर्तली जिला जयपुर को बाकें ग्राम वर्गुमज तहसील कोटपुर्तली के ख0 न0 660/20.0 है0 किस्म सिवायक में से 1.20 है0 मूमि पर अतिक्रमी धारित किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आरजियात पर की गई जाल से हटया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 4रू. का पवास गुणा 200रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है मू- अभिलेख निरीक्षक व

पटवारी हत्का को वारं वारं बेदखली आदेश जारी हो तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 1.1.2020 को सरें इजलास सुनाया गया।

